राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 356/2009/धौलपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

भागीरथ पुत्र अमर सिंह
द्वारा मैसर्स कैलादेवी ट्रेडिंग कम्पनी,खैरागढ

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

श्री जतिन हरजाई
सी.ए.

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 18.11.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, धोलपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 137/आरवैट/एन. आरडी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, धोलपुर द्वारा दिनांक 20.11.2007 को वाहन संख्या यूपी–80–एडी–9866 को पुलिस चौकी बसाई नवाब पर चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी से वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेजों की मांग जाने पर वाहन चालक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं होना जाहिर किया एवं परिवहनित माल सोया तेल खैरगढ से भरना बताया गया व दस्तावेज मुनीम बिहारी के पास होना बताया। मुनीम से दस्तावेजों के बाबत जानकारी करने पर उसके द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकार उक्त वाहन में लदा माल बिना चैकपोस्ट पर इन्द्राज करवाये, बिना दस्तावेजों के परिवहनीत किया जा रहा था। करापवंचन की नियत से राज्य से तेल भरकर परिवहनीत किया जाना प्रतीत होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी श्री भागीरथ द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं साथ ही परिवहनीत माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । तत्पश्चात् श्री राकेश कुमार मालिक मैसर्स कैलादेवी ट्रेडिंग कंपनी खैरागढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए विस्तृत कारण बताओ नोटिस व्यवसाई मैसर्स केलादेवी ट्रेडिंग कंपनी को जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में व्यवसाई द्वारा लिखित जवाब एवं उसके साथ क्लीनर राधे का शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वाहन से

बिना दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से माल परिवहनीत करने का दोषी मनोभाव मानते हुए परिवहनीत माल कीमतन रूपये 795000/- पर 4 प्रतिशत की दर से बिकी कर रूपये 31800/-- आरोपित किया गया क्योंकि व्यवसाई राज्य में पंजीकृत नहीं है, तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 2,38,500/-- आरोपित करते हुए कुल मांग राशि रूपये 2,70,300/- कायम की गई है, जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने कायम की मांग राशि को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2008 पारित किया,जिसके विरूद्ध यह अपील राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 20.11.2007 को प्रातः 9.30 से 10 बजे के दौरान वाहन संख्या यूपी 80एडी--9866 जिसके साथ टेंकर संख्या यू.पी.80 पी 9895 भी था, को वाणिज्यिक कर चेक पोस्ट पर बिना इन्द्राज कराये, बहती पास कराये एवं बिल प्रस्तुत किये वाहन चालक भगाकर ले गया, की चेक पोस्ट बसई नवाब के पेट्रोल पम्प के पास जिला कलेक्टर द्वारा जांच की गई । उनका कथन है कि वाहन की चेकिंग के समय वाहन प्रभारी ने बताया कि वह वाहन में लदा माल खैरगढ से ला रहा है परन्तु उसके परिवहनित माल के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है और दस्तावेज लेखाकार के पास हैं। उनका कथन है बिना दस्तावेजों के माल का परिवहन करना पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन करना मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ बिल एवं बिल्टी आदि प्रस्तुत की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तोवजों की जांच के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना दस्तोवजों के माल का परिवहन किये जाने के कारण परिवहनित माल की कीमत पर 4 प्रतिशत की दर से कर रू. 31,800/- एवं अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,38,5000/- आरोपित करते हुए कुल रू. 2,70,300/-की मांग सृजित की गई। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया गया है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात कर एवं शास्ति आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंन उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया जॉच अधिकारी द्वारा प्रकरण में मौजूद तथ्यों एवं प्रमाणों के विपरीत जाकर बिना किसी ठोस एवम् उचित आधार के, बिना किसी विस्तृत जॉच के प्रत्यर्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये, कर व शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में समस्त वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनके अनुसार परिवहनित माल राज्य बाहर खेरागढ़ से राज्य बाहर आगरा के लिये परिवहनित किया जा रहा था तथा परिवहनीत माल के साथ समस्त वांछित दस्तावेज यथा– बिल,बिल्टी, कांटा पर्ची आदि दस्तावेज मौजूद थे, जिनमें माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण पते तथा पंजीयन क्रमांक अंकित थे, उसके बावजूद भी जॉच अधिकारी द्वारा उनकी कोई जॉच नहीं की गई है। उनका कथन है कि प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवम् बोगस प्रमाणित किये बिना अपीलार्थी का करापवंचन को दोषी मनोगाव प्रमाणित किये, कर व शास्ति आरोपण की कार्यवाही अविधिक रूप से की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस जॉच कार्यवाही के अपने स्वयं के कयास तथा वाहन चालक के बयानों के आधार पर यह माना कि परिवहनीत माल कर चोरी की नियत से बिना दस्तावेजों का इन्द्राज चैकपोस्ट पर करवाये लाया गया है। उनका कथन है कि परिवहनीत माल का राजस्थान राज्य से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने यह भी कथन किया गया कि चैकपोस्ट बसई नवाब आर वेट एक्ट के तहत् अधिकृत चैकपोस्ट नहीं है, इसी कारण से दस्तावेजों का इन्द्राज वहॉ पर नहीं करवाया गया था और नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ समस्त वांछित दस्तावेजात उपलब्ध कराने के साथ–साथ वाहन के चालक भागीरथ, क्लीनर धर्मवीर के शपथ पत्र भी संलग्न किये गये थे, जिन पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। वाहन चालक भागीरथ द्वारा उक्त वाहन को बसई नवाब पेट्रोल पंप के पास खड़ा करके क्लीनर नरोत्तम को उसके गांव लेने चला गया था, इसी बीच उक्त वाहन को चेक किया गया था एवम् वांछित दस्तावेज वाहन चालक द्वारा दिये जाने पर उन्हें नहीं लिया गया था जो कि जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में मैसर्स केलादेवी ट्रेडिंग कंपनी खेरागढ़ के श्री राकेष कुमार द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन करने पर पक्षकार तो बनाया गया है परन्तु कर व शारित आरोपण की कार्यवाही वाहन चालक भागीरथ के नाम से की गई है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त करने में कोई त्रृटि नहीं की गई है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 108 एस टी सी

490 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोढी ट्रोसपोर्ट कम्पनी को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 20.11.2007 को वाहन संख्या यूपी–80–एडी–9866 को पुलिस चौकी बसई नवाब पर चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी से वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेजों की मांग जाने पर वाहन चालक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं होना जाहिर किया एवं परिवहनित माल सोया तेल खैरगढ से भरना बताया गया व दस्तावेज मुनीम बिहारी के पास होना बताया। मुनीम से दस्तावेजों के बाबत जानकारी करने पर उसके द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकार उक्त वाहन में लदा माल बिना चैकपोस्ट पर इन्द्राज करवाये, बिना दस्तावेजों के परिवहनीत किया जा रहा था। करापवंचन की नियत से राज्य से तेल भरकर परिवहनीत किया जाना प्रतीत होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी श्री भागीरथ द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं साथ ही परिवहनीत माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम पते तथा पंजीयन क्रमांक उपलब्ध थे और यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल प्रेषक एवं प्रेषिति की विधिवत् जांच की गई होती तो समस्त वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है,जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वक्त जांच पाया गया माल राज्य बाहर खेरागढ से राज्य बाहर आगरा के लिए परिवहनित किया जा रहा था, इस तथ्य खुलासा नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से होता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेजों एवं उनके समक्ष प्रस्तुत की गई बहस पर समग्र रूप से विवेचन के पश्चात परिवहनित माल राज्य बाहर खेरागढ से राज्य बाहर आगरा के लिए परिवहनित किया मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित की गई शास्ति को अपास्त किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मैसर्स सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी 10 एस टी सी 218 का न्यायिक दृष्टान्त उद्धृत किया,जिस पर विचार किया जाना समीचीन होगा। उक्त निर्णय का सारगर्भित अंश निम्नानुसार है :–

"The consignor is said to have been as dealer not registered with the sales tax authorities in Delhi. This by itself neither established that the consigor-firm was bogus and nor can it be presumed therfrom that

the goods were intended for sale in Rajasthan without payment of tax under RST Act...."

प्रकरण के उक्त तथ्यों के सांगोपांङ्ग विश्लेषण से स्पष्ट है कि माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिए किया जा रहा था, जिससे राजस्थान राज्य को किसी प्रकार की राजस्व की हानि होना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए था कि यदि उन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों पर सन्देह था तो उनकी सारगर्भित जांच कर, पर्याप्त कारणों, विपरीत साक्ष्य और तथ्यों को एकत्र करने के पश्चात कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही करते, जिससे उनकी कार्यवाही को विधि का बल प्राप्त होता। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी जांच के माल का परिवहन करापवंचन की मानसिकता से किया जाना मानकर, कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जो कि विधिक दृष्टि से प्रतिकूल है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.05.2008 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य